पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-67/2014................/जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पटना दिनांक..................

विषयः- **सीतामढ़ी जिला के लिए लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि **सीतामढ़ी** जिला के लिए **लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम** से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री जुनैद आरमिल, अधिवक्ता, सीतामढी **निबंधन संख्या-194/116/65** को पत्र निर्गत की तिथि से तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के अनुमान्य दैनिक शुल्क देय होगा।

3. इन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. इस नियुक्ति के वाद पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वत: समाप्त समझा जायेगा।

5. इनका यह दायित्व होगा कि वे लम्बित तथा निष्पादित विषयांकित वादों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-................................../**जे0, पटना, दिनांक-**..............

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी/श्री जुनैद आरमिल, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-..........190........................../**जे0, पटना, दिनांक-**9-1-15

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

E:\ARCHANA KUMARI(H)\MANOJ SIR\format\CAS\JILA DAND-2.doc